


'डिजिटल अरेस्ट': एटीएस अफसर बनकर बुजुर्ग दंपति से 1.15 करोड़ ठगे

- ▶ आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाया
- ▶ पांच दिन तक वीडियो कॉल पर बंधक बनाकर रखा
- ▶ हीरानगर थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस जांच में जुटी

करोड़ 15 लाख रुपए ठग लिए. आरोपियों ने खुद को पुणे एटीएस मुख्यालय का अधिकारी बताते हुए आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी और दंपति को 5 दिन तक मानसिक दबाव में रखकर डिजिटल अरेस्ट पर रखा. मामले में हीरानगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि पीड़िता सुमन सक्सेना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि 15 नवंबर 2025 को उनके पास एक



नंबर से कॉल आया. कॉलर ने अपना नाम चंद्रभान सिंह बताते हुए खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताया. उसने कहा कि पुलवामा-पहलगाम में बच्चों के

रेप व मर्डर केस में पकड़े गए आतंकवादी अफजल खान ने उनका नाम लिया है. साथ ही दावा किया कि जम्मू स्थित एचडीएफसी बैंक खाते में 70

लाख रुपए कमीशन के रूप में जमा हुए हैं, जिसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद सहयोग का केस बनेगा. जब सुमन ने स्पष्ट किया कि वे कभी जम्मू नहीं गईं और वहां कोई खाता नहीं है, तो कॉलर कट गया.

वीडियो काल पर जांच का नाटक-पीड़िता ने बताया कि 18 नवंबर को दोबारा कॉल कर कहा गया कि आपका केस प्रदीप लाल नामक अधिकारी को ट्रांसफर किया जा रहा है. इसके बाद 19 नवंबर को फिर एक नंबर से प्रदीप लाल नाम बताने वाले आरोपी ने

व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया. दंपति को सामने बैठाकर कथित पूछताछ की गई. आरोपियों ने धमकाया कि सहयोग नहीं किया तो गिरफ्तार कर पुणे ले जाया जाएगा और बच्चों को हत्या कर दी जाएगी. डर के माहौल में दंपति से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सहित निजी दस्तावेज मंगवाए गए. आरोपियों ने एफडी तुड़वाकर रकम निकालने और जांच पूरी होने तक सुरक्षित ट्रांजेक्शन के नाम पर दो खातों में राशि जमा करने के निर्देश दिए.

20 नवंबर को दो खातों में जमा कराए रुपए

पीड़िता के अनुसार, इस दौरान हम पति-पत्नी काफी डर गए. 20 नवंबर 2025 को सुमन सक्सेना ने 49.70 लाख रुपए और विजय सक्सेना ने 65.30 लाख रुपए एनईएफटी के जरिए बताए गए खातों में ट्रांसफर कर दिए. ठगों ने यह भी हिदायत दी कि बैंक में पुष्टे जाने पर कहना कि रकम बेटियों को भेजी जा रही है. लगातार धमकियों और कॉल्स के कारण विजय सक्सेना की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.

दामाद को बताई दास्तान, फिर दर्ज कराई रिपोर्ट-स्वास्थ्य सुधरने के बाद दंपति ने अपने दामाद मनीष गौड़ को पूरी जानकारी दी. इसके बाद साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत की, जांच के बाद हीरानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई. मामले में डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि विरह नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का मामला सामने आया है. बैंक खातों, कॉल डिटेल्स और ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है.

एक नजर में सिक्वोरिटी गार्डों का संदिग्ध हालात में मौत

इंदौर. खजराना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले 45 वर्षीय निजी सुरक्षा गार्डों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इयूटी से लौटने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी मनोज सेंधव ने बताया कि घटना खजराना थाना क्षेत्र की कृष्ण बाग कॉलोनी की है. 45 वर्षीय मृतक बहादुर देवास नाका क्षेत्र में नाइट इयूटी पर तैनात थे. वे करीब पांच माह पहले उज्जैन से इंदौर आकर परिवार के साथ यहां रह रहे थे. परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुबह इयूटी से लौटने के बाद उन्होंने भोजन किया और आराम करने चले गए. कुछ देर बाद उन्हें अचानक चक्कराहट और बेचैनी महसूस हुई. हालत बिगड़ने पर उन्होंने पत्नी को जानकारी दी. पत्नी ने तत्काल अपने भाई को बुलाया और दोनों मिलकर उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. बताया जा रहा है कि हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बड़े अस्पताल रेफर किया. परिजनों का कहना है कि अस्पताल ले जाते समय उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहा था, उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है.

अखाड़े की बालिकाओं ने बनाए होली के बुलबुले



महू. हमारी संस्कृति हमारे त्योहार के तहत मातृशक्ति अहिल्या अखाड़ा गांगुलिया खेड़ी की बालिकाओं ने होली पूजन के लिए गौ माता के गोबर से बुलबुले बनाए. अखाड़ा की संचालिका आशा परमार ने बताया कि बालिकाओं ने अखाड़े की हमारी संस्कृति हमारे त्योहार परंपरा के तहत बालिकाओं ने पारंपरिक तरीके से होली पूजा के लिए गोबर से बुलबुले बनाए हैं. ज्ञात हो, आशा परमार अपने अखाड़े में लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भरता का गुण सिखाती हैं. आशा परमार अब तक शहर और ग्रामीण क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को तलवार, लठ आदि का प्रशिक्षण दे चुकी हैं. उनका यह कार्य निरंतर जारी है.

छात्राओं को कराया कौशल विकास केंद्र का भ्रमण



महू. एडवांस टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर में शासकीय मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मोती तबेला की कक्षा 10वीं एवं 11वीं की छात्राएं, शैक्षणिक भ्रमण हेतु पहुंचीं. यह विजिट छात्रावास अधीक्षिका जानकी कोटिया के अनुरोध पर आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार महिला एवं बाल विकास आयोग की प्रदेश सचिव डॉ. कनक पटेलरिया ने स्वयं बालिकाओं को सेंटर का भ्रमण कराया और विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी. कार्यक्रम में सेंटर के प्राचार्य अंशुल मिश्रा ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि आपके हाथ में कौशल है तो आप भी एफएडब्ल्यू जैसी कारी भी खरीद सकते हैं. मेरी दिली इच्छा है कि इस सेंटर से निकले विद्यार्थी भविष्य में उद्योगपति बनें. इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी डॉ. राकेश डांगी ने भी छात्राओं को संबोधित किया. संस्था के ट्रेनर तुषार त्रिवेदी ने मशीनिस्ट, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एवं कोपा टेड्स की जानकारी दी. प्रतीक वेद्य ने प्रवेश प्रक्रिया एवं छात्रवृत्ति के बारे में बताया तथा अंजु दुबे ने प्रयोगशाला का कार्यप्रणाली समझाई. अंत में डॉ. कनक पटेलरिया ने प्राचार्य अंशुल मिश्रा का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बस की व्यवस्था कर बालिकाओं को आमंत्रित किया और उन्हें कौशल विकास की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया.

एपल की नकली एएसएसरीज बेचते युवक पकड़े

इंदौर. पलासिया पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए खजराना रोड स्थित एक दुकान से एपल कंपनी के लोगों की नकल कर बेचे जा रहे मोबाइल एएसएसरीज जब्त किए हैं. मामले में एक युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. थाना प्रभारी सुरेश सिंह रघुवंशी ने बताया कि आनंद बाजार के पास खजराना रोड स्थित दुकान पर जांच के दौरान रेक पर एपल कंपनी के लोगों से मिलते-जुलते चिन्ह वाले मोबाइल कवर प्रदर्शित हुए गए. शिकायतकर्ता विशाल जडेजा निवासी मधुकुंज सोसायटी, मणीनगर पूर्व, अहमदाबाद (गुजरात) की मौजूदगी में पुलिस ने सामग्री की जांच की. जांच में उक्त उत्पादों को नकली पाया गया. इस पर पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मोबाइल कवर, एंडेटर और एयरपॉड्स जब्त कर लिए. जांच में सामने आया कि आरोपी उवेद खान उम्र 20 साल निवासी खजराना मेन रोड, इंदौर एपल कंपनी के लोगों से मिलते-जुलते चिन्हों का उपयोग कर ग्राहकों को भ्रमित करते हुए बिक्री कर रहा था. मामले में पुलिस ने कॉपीराइट अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब जब्त माल की जांच के साथ अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

गेर मार्ग पर प्रशासन का पैदल मार्च

- ▶ महापौर, कलेक्टर व पुलिस आयुक्त ने किया निरीक्षण
- ▶ झेन-सीसीटीवी से होगी निगरानी, हुड़दंगियों पर सख्ती के निर्देश



नव भारत न्यूज इंदौर. रंगपंचमी पर निकलने वाली परंपरागत गेर यात्राओं को लेकर शनिवार सुबह प्रशासन ने नरसिंह बाजार से गौरा कुण्ड चौराहे होते हुए राजबाड़ा तक पूरे गेर मार्ग का पैदल निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, यातायात, आपातकालीन कॉरिडोर, भीड़ प्रबंधन, निर्माण कार्य, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी व झेन निगरानी सहित व्यवस्थाओं की समीक्षा कर संबंधित विभागों को समयसमय में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए.

गौरशाली परम्परा का प्रतीक रंगपंचमी पर निकलने वाली गेर यात्रा है, जिसमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में शहर, प्रदेश एवं अन्य राज्यों से आगिरिक शामिल होते हैं. इसलिए गेर के सुरक्षित संचालन, सुरक्षा, स्वच्छता तथा यातायात को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाए. इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि मेट्रो अथवा अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं, वहां पर बैरिकेडिंग की जाए. जहां जहां अनावश्यक वाहन एवं केबल हैं उन्हें तत्काल हटा कर पेचवर्क किया जाए. साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए.

हुड़दंग, लापरवाही बर्दाश्त नहीं...

इसके अलावा महापौर ने यह भी कहा कि गेरों में शामिल होने वाले वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से की जाए. प्रत्येक वाहन के साथ अतिरिक्त चालक, ब्रेक, स्टेयरिंग के साथ ही अन्य तकनीकी जांच भी विशेष रूप से की जाए. जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने गेर मार्ग एवं संपर्क मार्गों पर चिकित्सा, पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं. वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि गेर मार्ग पर निकलने वाली गेरों में शामिल लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, मंच व्यवस्था का संचालन के साथ ही यात्रा मार्ग पर गेरों के सुरक्षित संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हुड़दंग, लापरवाही बर्दाश्त नहीं...

इसके अलावा महापौर ने यह भी कहा कि गेरों में शामिल होने वाले वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से की जाए. प्रत्येक वाहन के साथ अतिरिक्त चालक, ब्रेक, स्टेयरिंग के साथ ही अन्य तकनीकी जांच भी विशेष रूप से की जाए. जबकि कलेक्टर शिवम वर्मा ने गेर मार्ग एवं संपर्क मार्गों पर चिकित्सा, पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं. वहीं पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने कहा कि गेर मार्ग पर निकलने वाली गेरों में शामिल लोगों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने, मंच व्यवस्था का संचालन के साथ ही यात्रा मार्ग पर गेरों के सुरक्षित संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए. तथा पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, हुड़दंग या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

1 किलो 24 ग्राम गांजे के साथ युवक को पकड़ा

इंदौर. पलासिया पुलिस ने 1 किलो 24 ग्राम गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा जब्त गांजा और बाइक सहित करीब दो लाख रुपये की जबाबी बताई गई है. आरोपी नशे के आदी लोगों को महंगे दामों पर गांजा सप्लाई करता था. सब उपा निरीक्षक राकेश सिंह परिहार ने बताया कि पुलिस की टीम क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश कर रही थी. इसी दौरान खजराना सर्विस रोड पर एक युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया. पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम अजय कैथवास उम्र 25 साल निवासी बिनोबा नगर बताया. तलाशी लेने पर उसके पास से 1 किलो 24 ग्राम गांजा बरामद हुआ. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सरत दामों में गांजा खरीदकर शहर में नशे के आदी लोगों को अधिक कीमत पर बेचता था. वह आदत अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी प्रकरण दर्ज हैं.

8.313 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर धराई

- ▶ गांजे के साथ दोपहिया वाहन भी जब्त, पहले भी हो चुकी है गिरफ्तार



इंदौर. क्राइम ब्रांच ने देवास-इंदौर बायपास रोड पर कार्रवाई करते हुए एक महिला को 8 किलो 313 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से दोपहिया वाहन और मोबाइल सहित करीब 3.50 लाख रुपए का माल जब्त किया है. महिला पहले भी गांजा तस्करी के मामले में पकड़ी जा चुकी है और फिलहाल जमानत पर बाहर थी. एडीसीपी राजेश कुमार दंडोतिया ने बताया कि कार्रवाई देवास-इंदौर बायपास रोड स्थित डगारिया फार्म हाउस के पास निपानिया जाने वाली कच्ची सड़क पर की गई. क्राइम ब्रांच टीम संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक एक्टिवा पर सवार महिला दिखाई दी, जिसके पैर रखने की जगह पर एक बोरी रखी हुई थी. पुलिस को देखकर महिला घबराई, जिस पर टीम ने उसे रोककर पूछताछ की. तलाशी लेने पर

बोरी से 8 किलो 313 ग्राम गांजा बरामद हुआ. आरोपी की पहचान सोनाली सिंह निवासी मांगलिया के रूप में हुई. जांच में सामने आया कि वह सरत दामों पर गांजा खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को ऊंचे दामों पर बेचती थी. दंडोतिया ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी करीब 6 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार हो चुकी है और वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर थी. मामले में एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजा, एक आईफोन मोबाइल और दोपहिया वाहन शामिल हैं. आरोपी से पूछताछ कर गांजा सप्लाई नेटवर्क के अन्य कड़ियों की तलाश में जुटी है.

काम के दौरान कुर्सी से गिरा युवक, मौत

इंदौर. विजय नगर क्षेत्र स्थित एक निजी कार्यालय में काम के दौरान 30 वर्षीय युवक अचानक कुर्सी से गिरकर बेहोश हो गया. सहकर्मी उसे तत्काल अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों ने हृदयाघात की आशंका जताई है. थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि घटना मेट्रो टावर स्थित एक निजी कंपनी की मदद से आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

काम के दौरान कुर्सी से गिरा युवक, मौत के कार्यालय की है. मित्र बंधु नगर में रहने वाले 30 वर्षीय मृतक सहज चौबे उस उक्त कार्यालय में कार्यरत थे, सहकर्मीयों ने बताया कि वह रोजाना की तरह अपने कार्य में व्यस्त था, तभी अचानक कुर्सी से नीचे गिर गई. प्रारंभिक तौर पर चिकित्सकों ने हृदयाघात की आशंका जताई है. थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया कि घटना मेट्रो टावर स्थित एक निजी कंपनी की मदद से आग की लपटों और धुएं के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यूज पेपर (सेप्टल) रूल्स 1956 के अंतर्गत

'नवभारत' पत्र के संबंध में स्वामित्व तथा अन्य विवरण विषयक जानकारी

घोषणा (फार्म-4)	
1. प्रकाशन स्थल	: 6/54, फिरोज गांधी प्रेस परिसर इंदौर
2. प्रकाशन रूप	: दैनिक
3. मुद्रक	: आशुतोष उपाध्याय
नागरिकता	: भारतीय
निवास स्थान	: 6/54, फिरोज गांधी प्रेस परिसर इंदौर
4. प्रकाशक	: आशुतोष उपाध्याय
नागरिकता	: भारतीय
निवास स्थान	: 6/54, फिरोज गांधी प्रेस परिसर इंदौर
5. संपादक	: क्रांति चतुर्वेदी
नागरिकता	: भारतीय
निवास स्थान	: 6/54, फिरोज गांधी प्रेस परिसर इंदौर
6. पत्र का स्वामित्व भागीदार	: रामगोपाल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
भागीदार अथवा 1 प्र.श.	:
अधिक पूंजी वाले हिस्सेदार	: ब्रज माहेश्वरी
नागरिकता	: भारतीय
निवास स्थान	: 'नवभारत' निलयम, ई-3/22, अरेरा कालोनी, भोपाल-462 016

मैं आशुतोष उपाध्याय घोषित करता हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है.

आशुतोष उपाध्याय
दिनांक 1 मार्च 2026 प्रकाशक